रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED NO. D.(D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 308] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 1, 1979/आश्विन 9, 1901
No. 308] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 1, 1979/ASVIN 9, 1901

Acc. No. ICD-21151
Date of
Call No. 9/10/80
Checked

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1979

सा. का. नि. 559(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 123 के खण्ड (च), (अ) और (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मार्मुगाव

पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा निर्मित "मार्मुगाव पत्तन (बर्थ संख्या 9 पर खनिज के रखने उठाने के यांत्रिक संयंत्र से खनिज और पैलेटों के लदान और उससे संबंधित कार्य) विनियम, 1979" का अनुमोदन करती है, जो गोआ, दमन और दीव सरकार के असाधारण सरकारी राजपत्र, दिनांक 15 सितम्बर, 1979 की श्रृंखला 3 की संख्या 24 जो गोआ, दमन और दीव सरकार के सरकारी राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर, 1979 की श्रृंखला 3 की संख्या 25 में प्रकाशित हुए हैं ।

[पी. डब्ल्यू.-पी.जी.एल.-38/79]

विनेश कुमार जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 1979

G.S.R. 559(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the "Mormugao Port (Shipment of Ore and Pellets from Mechanical Ore Handling Plant at berth No. 9 and related matters) Regulations, 1979, made by the Board of Trustees of the Port of Mormugao in exercise of the powers conferred by clauses (f), (j) and (k) of section 123 read with sub-section (2) of section 124 of the said Act and published in the Extraordinary Official Gazette of Government of Goa, Daman and Diu, dated 15th September, 1979 series III No. 24 and Official Gazette of Government of Goa, Daman and Diu series III No. 25, dated 20th September, 1979.

[PW-PGL-38/79]

D. K. JAIN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979